कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक— 2228/ FP/UK/IRRI/29972/2017 :देहरादून:दिनांक:25 फरवरी, 2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर—मध्य क्षेत्र)
25, सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः— जनपद—देहरादून में विकासखण्ड डोईवाला के जाखन नदी पर सूर्यधार झील व पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु 3.69 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु सिंचाई विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UK/IRRI/29972/2017)

संदर्भः— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या—8बी / यू.सी.पी. / 02 / 45 / 2018 / एफ.सी. / 1527 दिनांक 24—10—2018.

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयॉकित वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण पर कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के पत्रांक 2432 / 12—1 दिनांक 15—02—2019 **(संलग्नक—1)** एवं प्रयोक्ता एजेन्सी के पत्रांक—110 / सिं0ख0दे0 / सूर्यधार वन भूमि / एफ—1 दिनांक 30—01—2019 **(संलग्नक—2)** द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नवत् प्रेषित की जा रही हैः—

2— **शर्त संख्या—1** के अनुपालन में सूचित करना है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा ग्राम गडूल की 7.38 हे0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके दस वर्षों तक रख—रखाव हेतु धनराशि ₹ 20,56,548.00 (₹ बीस लाख छप्पन हजार पाँच सौ अड़तालीस) मात्र की धनराशि तदर्थ कैम्पा कोष में ऑन—लाईन चालान के माध्यम से जमा कर दी गई है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम गडूल की सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दिया गया है। म्यूटेशन की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक—3)**

3. **शर्त संख्या—2** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि ₹ 24,24,330.00 (₹ चौबीस लाख चौबीस हजार तीन सौ तीस) मात्र कैम्पा कोष में चालान के माध्यम से जमा की जा चुकी है।

4. **शर्त संख्या—3** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात जहाँ—जहाँ सम्भव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त पड़े स्थानों पर पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख—रेख में वृक्षारोपण किया जायेगा। **(संलग्नक—4)**

5. **शर्त संख्या—4** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा करा दी जायेगी। **(संलग्नक—5)**

—क्रमशः—

5. शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) एवं सभी निधियां कुल ₹ 44,80,878.00 (₹ चौवालीस लाख अस्सी हजार आठ सौ अठहत्तर) मात्र प्रतिपूर्ति निधि प्रबन्धन तथा योजना प्रबन्धन (CAMPA) के कॉरपोरेशन बैंक में online portal पर चालान के माध्यम से जमा कर दी गई है। **(संलग्नक–6)**

6. **शर्त संख–6** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा ऑन–लाईन पोर्टल पर पार्ट–1 के पैरा E (ii) में सुसंगत सूचना अपलोड कर दी गई है।

7. **शर्त संख–7** के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा ऑन–लाईन पोर्टल पर पार्ट–II के पैरा 14 में District Profile की सूचना सही कर दी गई है।

8. शर्त संख्या–8 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा FRA, 2006 की मूल प्रति संलग्न है। (संलग्नक–7)

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई अनुपालन आख्या की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करना चाहें।

संलग्नः–यथोपरि

भवदीय,

(अनूप मलिक)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या :– 2228/ FP/UK/IRRI/29972/2017 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, जनपद–देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, देहरादून।

(अनूप मलिक)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी